

रैयत द्वारा इस प्रविष्टि के साक्ष्य के रूप में कागजात उपस्थापित नहीं किया जा सका।

उपर्युक्त परिस्थिति में विभिन्न राजस्व विभागीय परिपत्रों के आलोक में यह संदिग्ध जमाबंदी का मामला प्रतीत होता है।

अतः संबंधित रैयत को दिनांक 31.09.2016 को 11:00 बज पूर्वहन सभी कागजात अचूक रूप से प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें अन्यथा बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।


अंचल अधिकारी
अंचल अधिकारी
कुसठेरा (विमदेरा)

अभिलेख उपस्थापित किया गया संबंधित मामले में पूर्ण नोटिस के आलोक में संबंधित व्यक्ति के संबंध में श्री डिप्टि मज्दूर को द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

पुनः अतिम नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक - 29.12.2020 को उपस्थापित करें।

29.12.2020 अभिलेख उपस्थापित। नोटिस के अभाव में श्री डिप्टि मज्दूर को द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः एवम या. अति. एवं अंचल निर्गत के अतिम के आलोक में उक्त व्यक्ति का जमाबंदी को रद्द किया जा रहा है।


29/12/2020